

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से तक

जिला सं० 13 मन् 20 15-16

किस का प्रकार CMT ACT की धारा 46 के तहत आज्ञाओं के अधि निधी हेतु परमिशन ।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	2	3

20-6-2015

आवेदक विक्रेता शानिचर उराँव, (B) दुला उराँव एवं सभा उराँव तीन के पिता स्व० शैमर उराँव जाति उराँव सा० गरवाँध धाना+अंचल-नगर उत्तरी जिला जदवा राज्य कारण ने आवेदन पत्र दे कर अपनी निम्नांकित भूमि की विक्री केता भागमती देवी पति स्व० शिव प्रसाद उराँव जाति उराँव के रामदास उराँव पिता स्व० पंचु उराँव केता ग्राम गरवाँध धाना के अंचल-नगर उत्तरी जिला जदवा राज्य भारतखण्ड के दायों विक्री करके की अनुमति की मांग की हैं।

भूमि का विवरण

ग्राम + थाना	रकबा	काँट	रकबा	चौहद्दी
गरवाँध	82	291	01-47 1/2 ए०	उत्तर- हरी उराँव द०- शिवदास उराँव केता पु० रास्ता प०- रामदास उराँव

आम दस्तावेज निहित की एवं संबंधित अं० अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग दिनांक 5-7-15 तक की है।

20/6/15

उप स

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, नगर उन्तारी के फांके
 261 दिनांक 22-7-2015 से जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तहार का
 नामिला प्रतिवेदन विधिवत प्रकाशन के पश्चात प्राप्त हुआ है,
 जिसका अपलोकन किया। अपलोकन से विदित विदित होता
 है कि क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी
 हैं एवं एक ही जाति के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि के
 स्वतंत्रियानी रैयत मिट्टी उर्रैव क्लैर के नाम से दर्ज है जिसका
 भाग पंजी II में भी रैयत क्र नाम मिट्टी उर्रैव क्लैर से कायम
 है। जमावदी रैयत से आवेदक का सम्बन्ध दादा-पोता का है।
 प्रस्तावित भूमि आवेदक का स्वतंत्रियानी बूकरी है जिस पर
 आवेदक का हकल कब्जा कायम है। प्रस्तावित भूमि
 की विक्री के पश्चात आवेदक को शेष रकवा 47.76 सड़
 बचता है जो भूमिधन की श्रेणी अंतरगत आवेदक नहीं
 आते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि की मालगुजारी का
 2014-15 तक जमा कर दी गई है। आवेदक द्वारा अपनी भूमि
 की विक्री इलाज करने हेतु की जा रही है। प्रस्तावित भूमि
 की विक्री हेतु अंचल अधिकारी द्वारा अनुमति भी गई है।

अतः इनके अनुमति के आलोक में विक्रेता ①
 शनिचर उर्रैव ② दुला उर्रैव ③ शमा उर्रैव तीनों के पिता
 स्व० सोमर उर्रैव सा० गरबीन्ध्र थाना नगर उन्तारी जिला
 गढ़वा को निम्नांकित भूमिक्रेता श्री मति भाणमती देवी पति
 स्व० पंच्यु उर्रैव वी रामदास उर्रैव पिता स्व० पंच्यु उर्रैव सा०
 गरबीन्ध्र थाना नगर उन्तारी जिला गढ़वा राज्य महराष्ट्र के
 हाथों विक्री करने की - स्वीकृति - दी जाती है।

भूमि का विक्रान

ग्राम-थाना	रकवा	प्लैट	रकवा	चौदरी
गरबीन्ध्र 1	82	291	1.47 1/2 सड़	उमर-हरी उर्रैव वी शिवदास उर्रैव वी पू०- रास्ता प०- रामलखन उर्रैव
			1.47 1/2 सड़	

सूचित करें। आवेदक एवं अपर निबंधक पदाधिकारी को

लेखापित/संबोधित

अभि सुधार उप स्थापना